रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112026-277592
CG-DL-E-03112026-277592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5664] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 5664] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5896(अ).— यत:, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 05 के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2151 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा कर्नाटक राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 766ई को कर्नाटक राज्य सरकार को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3(जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 766ई के कुमटा-सिरसी खंड के किलोमीटर 4.242 से किलोमीटर 58.920 (वर्तमान किलोमीटर 4.965 से किलोमीटर 60.000) तक के 54.678 किमी [सारणी 2] की निवल सड़क खंड लंबाई के दो लेन वाले पेव्ड शोल्डर खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो के प्रकार पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के साठ प्रतिशत की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात :-

सारणी 1 –	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 08-2007के लिए प्रति कि .मी. (रुपए में) आधार शुल्क दर**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी अथवा मृदा संचालन उपस्कर (.एम.सी.एच) (चार से छह धुरी वाले) (.वी.ए.एम) या बहुधुरीय वाहन (ई.एम.ई)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी – 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लम्बाई जिसके लिए शुल्क देय है (में .मी.कि)**	**जिस दर पर शुल्क संदेय है**
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हनुमंती गांव के पास एनएच-766ई के किलोमीटर 54.446 पर।	54.678 किमी.	पेव्ड शोल्डर वाले दो लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

2. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये)तीन सौ साठ रुपये मात्र (है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी – 3		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए उक्त नियमों के नियम 10में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार प्रयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

8. उपर्युक्त सारणी में 1– यथा उल्लिखित आधार वर्ष .के लिए प्रति किमी 08-2007 शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 494 करोड़ रुपये है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी -13011/2/2025- पीआईयू होनावर/ई-266712]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2026

S.O. 5896(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2151 (E) dated 30th Day of April, 2026 issued under Section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway No. 766E in the State of Karnataka, to State Government of Karnataka;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (herein referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at sixty percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 54.678 km [Table 2] on the type of vehicle specified in column (1) of Table-1 below, for use of two lane with paved shoulder section of Kumta – Sirsi Section from kilometer 4.242 to kilometer 58.920 (existing km. 4.965 to km. 60.000) of National Highway number 766E in the state of Karnataka and authorises to the National Highways Authority of India to collect , either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 54.446 of NH-766E near Hanumanthi Village in Uttara Kannada District of Karnataka	54.678 Km.	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360.00 (Rupees Three Hundred Sixty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-3		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is **Rs. 494 Cr**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CODIV-13011/2/2025-PIU Honnavar/E-266712]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.03 17:29:30 +05'30'